रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2003/पौष 30, 1924
No. 29] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2003/PAUSA 30, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 39(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय समूह ''ग'' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय, ज्येष्ठ कर सहायक (समूह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **विशेष उपबंध.**—जब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, प्रत्येक कमिश्नरी का अपना पृथक काडर होगा :—

5. **आरंभिक गठन.**—

(i) इन नियमों के प्रारम्भ के समय सहायक, कर सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक (विशेष वेतन), आंकड़े प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ''ख'' और ''ग'' श्रेणी ये नियमित आधार पर नियुक्त सभी व्यक्ति इन नियमों के अधीन ज्येष्ठ कर सहायक नियुक्त हुए समझे जाएंगे। इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले की गई सेवा अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अर्हता के निर्धारण के लिए गणना की जाएगी।

(ii) सहायक (5000-8000 रु.) और आंकड़े प्रविष्टि प्रचालक समूह ''ग'' (5000-8000 रु.) समान वेतनमान में पुन: पदाभिहित कर ज्येष्ठ कर सहायक के रूप में रखा जाएगा। लेकिन उनका परस्पर स्थानन उस तारीख के अनुसार जिसमें उन्हें इन श्रेणियों में, नियमित आधार पर इस दशा के अध्यधीन कि उनका प्रवर्ग में उनका अन्तर स्थानन बदला नहीं जाएगा, वास्तव में नियुक्त किए गए थे।

(iii) आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ''ख'' (4500-7000 रु.) और कर सहायक (4500-7000 रु.) को उनके उच्चतर वेतनमान में रखा जाएगा और उन्हें सहायक और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी ''ग'' से नीचे रखा जाएगा और उनका परस्पर स्थानन उनके अपनी श्रेणी में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार इस दशा के अध्यधीन कि उनकी अपने प्रवर्ग में परस्पर स्थानन को नहीं छेड़ा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा।

(iv) विशेष वेतनमान वाले उच्च श्रेणी लिपिक सहायक, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ग" आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी "ख", कर सहायक से नीचे रखे जाएंगे।

(v) वर्तमान कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि विनिर्दिष्ट, कम्प्यूटर प्रयोजक और सुसंगत प्रक्रियाओं में अपेक्षित या समुचित विभागीय प्रोन्नति समिति को दो वर्ष के उत्तीर्ण करें जिसके न हो सकने पर वे अन्य वृद्धियों के लिए अर्हक नहीं होंगे।

6. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

7. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ कर सहायक	3152* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय साधारण सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, सचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे कर सहायक जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर कंप्यूटर अनुप्रयोग और संबंधित प्रक्रिया संबंधी विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा पास की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. एकल आयुक्तालय अर्थात् ऐसे आयुक्तालय जिसमें सम्मिलित काडर नहीं हैं। (i) ज्येष्ठतम अपर आयुक्त, मुख्यालय —अध्यक्ष (ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध दो अपर/संयुक्त आयुक्त —सदस्य (iii) आयकर के उप/सहायक आयुक्त —सदस्य **टिप्पण :** जब क्रम सं. (i) से क्रम सं. (iii) तक में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तब विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा। 2. मिश्रित आयुक्तालय अर्थात् ऐसे दो या अधिक आयुक्तालय जिसमें सम्मिलित काडर हैं :— (i) प्रत्येक आयुक्तालय से ज्येष्ठतम अपर आयुक्त (इनमें से ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा) (ii) काडर नियंत्रक आयुक्तालय के मुख्यालय का संयुक्त आयुक्त जिसके न हो सकने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध कोई अन्य संयुक्त आयुक्त —सदस्य (iii) आयकर का उप/सहायक आयुक्त —सदस्य	लागू नहीं होता

13

टिप्पण : जब क्रम सं. (i) से क्रम सं. (iii) तक में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग के सदस्यों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है तब विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक समूह "क" अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

[फा. सं. 12012/17/2002-एडी-III-बी]

वाई. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव (एडी-III-बी)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2003

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President makes the following rules regulating the method of recruitment of Group "C" posts of Senior Tax Assistant in the Central Excise and Customs Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called Central Excise and Customs Department Senior Tax Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column I of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule.

4. **Special Provision.**—Each Commissionerate shall have its own separate cadre, unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

5. **Initial constitution.**—(i) All the persons appointed on the regular basis at the time of commencement of these rules to the Grade of Assistant, Tax Assistant, Upper Division Clerk (Special Pay), Data Entry Operator Grade 'B' and 'C' shall be deemed to have been appointed as Senior Tax Assistants under these rules. The service rendered by them before commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to the next higher grade.

(ii) Assistants (Rs. 5000—8000) and Data Entry Operator Grade 'C' (Rs. 5000—8000) are being redesignated as Senior Tax Assistants in the same scale of pay. Therefore, the Assistants and Data Entry Operator Grade 'C' shall be placed enblock senior to the other categories. However, their inter-se-placement shall be done according to the date from which they had actually been appointed to these grades on regular basis subject to the condition that their inter se placement in their respective category shall not be altered.

(iii) The Data Entry Operator Grade 'B' (4500—7000) and Tax Assistants (4500—7000) have been placed in their higher scale of 5000—8000 and they shall be placed below the Assistant and Data Entry Operator Grade 'C' and their inter-se placement shall be fixed in accordance with the date of regular appointment to the respective grade subject to the condition that their inter-se placement in respective category shall not be disturbed.

(iv) Upper Division Clerk with special pay shall be placed below Assistant, Data Entry Operator Grade 'C', Data Entry Operator Grade 'B' Tax Assistants.

(v) The present employees would be required to pass the required or suitable departmental examination, as specified by the Competent Authority, from time to time, in Computer application and relevant procedures within two years failing which they would not be eligible for further increments.

6. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

7. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings.**—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxations of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Tax Assistant	3152 (2003)* *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules. 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
11	12	13	14
100 per cent by promotion	**Promotion :** Tax Assistants with 3 years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by the Com-	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (I) Single Commissionerate i.e. Commissionerates having no common cadre. (i) The senior most additional Commissioner at Hqrs. Office—Chairman; (ii) Two Additional/Joint Commis-	Not applicable.

171 GI/03 – 2

12	13
petent Authority from time to time, in computer application and relevant procedures. **Note** : If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.	sioners, available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting—Member; (iii) Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax—Member. **Note :** Where none of the member at Serial No. (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, a Group 'A' officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre :— (i) The Senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the Senior most officer among them would be the Chairman; (ii) The Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates failing which any other senior most Joint Commissioner available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting—Member; (iii) Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax—Member. **Note :** Where none of the member at Sl. No. (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category, a Group 'A' officer outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

[F. No. A-12018/17/2002.AD-III.(B)]

Y.P. VASHISHAT, Under Secy.[AD-III(B)]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2005/चैत्र 7, 1927
No. 129] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2005/CHAITRA 7, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2005

सा.का.नि. 192(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय ज्येष्ठ कर सहायक (समूह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, ज्येष्ठ कर सहायक (समूह ''ग'' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय ज्येष्ठ कर सहायक (समूह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची के स्तंभ 12 में ''प्रोन्नति'' शीर्षक के अधीन ''ऐसे कर सहायक जिन्होंने'' से आरंभ होने वाले और ''परीक्षा पास की है'' पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात्:—

(क) ऐसा कर सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसने समय-समय पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपयोजन और सुसंगत प्रक्रिया में विभागीय परीक्षा पास कर ली है, जिसके न हो सकने पर;

(ख) ऐसा कर सहायक जिसने 10 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में की गई सेवा भी सम्मिलित है और जिसने समय-समय पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, कम्प्यूटर उपयोजन और सुसंगत प्रक्रिया में विभागीय परीक्षा पास कर ली है:

परन्तु इस खंड के अधीन कोई कर सहायक उस तारीख से, जिसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय (समूह ''ग'' पद) कर सहायक भर्ती नियम, 2003 प्रवृत्त हुए थे तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् प्रोन्नत नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. ए. 12034/17/2004-ए.डी.IIIबी.]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. 39(अ), तारीख 16 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2005

G.S.R. 192(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Excise and Customs Department Senior Tax Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Senior Tax Assistant (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Excise and Customs Department Senior Tax Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003, in column 12, under the heading "promotion", the portions beginning with "Tax Assistants with 3 years" and ending with "relevant procedures", the following shall be substituted, namely:—

(a) Tax Assistant having 3 years regular service in the grade and who have passed the departmental examination as specified by the competent authority from time to time, in computer application and relevant procedure, failing which;

(b) Tax Assistants having 10 years combined regular service including the service rendered in the grade of Lower Division Clerk and have passed the departmental examination as specified by the competent authority from time to time, in computer application and relevant procedure:

Provided that no Tax Assistant under this clause shall be promoted after the expiry of three years from the date on which the Central Excise and Customs Department (Group 'C' posts) Tax Assistants Recruitment Rules, 2003 came in to force.

[F. No. A. 12034/17/2004-AD.III.B.]

S. K. THAKUR, Under Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. G.S.R. 39(E), dated 16th January, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.